न्यायालय - श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्र. / 2019 निगरानी-0846/2019/उज्जैन/भू.रा.

प्रार्थी ... श्री इरफान शेख
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 02/7/19
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

चंद्रकुंवरबाई पति हरिसिंह आयु 59 वर्ष जाति राजपुत व्यवसाय कृषि व गृहकार्य निवासी ग्राम धुरेरी तह. बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.

......आवेदक

विरुद्ध

1. पद्माकर राव पिता भुवराज आयु 42 वर्ष जाति मराठा व्यवसाय नोकरी निवासी स्टेशन रोड बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.
2. सजल पिता संजय पाटोदी आयु 24 वर्ष जाति जैन निवासी शिवाजी पथ बडनगर जिला उज्जैन म.प्र.

........अनावेदक

702
02/7/19

CF 27-8-19

निगरानी भू.रा.स. की धारा 50 के अंतर्गत

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र. द्वारा प्रकरण क्र. 853 अपील 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29/01/2019 से असंतुष्ट होकर निगरानी आवेदन

माननीय महोदय,

आवेदक की और से निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत है -

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदक / अपीलार्थी के नजदीकी रिश्तेदार को रुपयों की आवश्यकता होने से उन्होंने अनावेदक क्र. 02 के पिता श्री संजय पाटोदी जो कि, लेनदेन का कार्य करते हैं से रुपये उधार लेने का प्रस्ताव रखा था जो श्री संजय पाटोदी ने किसी जमीन वाले की जमानत दिलाने की शर्त पर व लिखापढ़ी करने की शर्त पर देना स्वीकार किया था | आवेदिका के पति के नाम से जमीन नहीं होने से आवेदिका के पति के कहने पर अपने रिश्तेदार की मदद हेतु अपने रिश्तेदार

(167)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(199)

प्रकरण क्रमांक – निगरानी-846/2019/उज्जैन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/01/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25-09-2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है । अतः यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	